



2026: AHC: 53606

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3235/2026

श्याम नारायण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: आदर्श पाराशर, अभिषेक कुमार चौबे, बृजेश कुमार सिंह, दीपक सिंह पटेल
प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार चौबे और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री सौमित्र सिंह को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय का इस मामले पर क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब दंड का आदेश तमिलनाडु में पारित किया गया था, अपीलीय आदेश नई दिल्ली में और उक्त आदेश रिट याचिकाकर्ता को संत कबीर नगर में तामील किए गए थे, [याचिकाकर्ता का तर्क है कि] इस प्रकार इस न्यायालय का मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।
3. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र सिंह प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब कोई वाद-कारण उत्पन्न नहीं होता है और केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता संत कबीर नगर का निवासी है, यह इस न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
5. स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ता आर.पी.एस.एफ. का सदस्य है, वह अंतिम बार तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु राज्य में तैनात था और दंड का आदेश तमिलनाडु में पारित किया गया था, जिसके बाद अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश नई दिल्ली में पारित हुए, अतः इस न्यायालय का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2005) 1 UPLBEC 108 के आलोक में हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में रिट याचिका निस्तारित की जाती है और रिट याचिकाकर्ता को इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

मार्च 16, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।